

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न  
अहक  
की त

23/12/25

वकील प्रार्थी उपनवीं। प्रार्थी व प्रार्थी वकील  
को बार-बार आवान लगाई गई। कोई अपेक्षा  
नहीं हुआ। पत्रावली अदम एजरी व शरमापैली  
में खारिज की जाती है। पत्रावली फेसलशुमार  
दोकर नम्बर से करके

